

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 358/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/579

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

देवाराम पुत्र छोगाराम

जाति जाट निवासी शिवनगरी

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

1.कुंभाराम पुत्र शेराराम

2.भोमाराम पुत्र शेराराम

3.कम्मादेवी पत्नी खेताराम

4.भलाराम पुत्र केसाराम

5.अनाराम पुत्र केसाराम

6.कालीदेवी पत्नी केसाराम

7.चूनाराम पुत्र छोगाराम

जाति जाट निवासी शिवनगरी

तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री भंवरलाल विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी
- 2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 5
- 3.श्री विष्णुकुमार विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 07
4. विप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6 एवं 8 एकपक्षीय



आदेश

दिनांक 24/01/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगरी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 7.8408 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम शिवनगरी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 7.8408 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तागील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01,5 व 7 की ओर से पृथक पृथक वकालतनामा पेश किया गया तथा उक्त विप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश नहीं कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पैमाईश करने की राहमति दी गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6 एवं 8 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने दोनो पक्षो अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगरी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 7.8408 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगरी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 7.8408 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4. विप्रार्थी संख्या 01 व 5 अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पैमाईश विप्रार्थी को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में की जाती है,तो आपति नहीं है। विप्रार्थी संख्या 07 अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पैमाईश किए जाने पर आपति नहीं की गई।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम शिवनगरी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 7.8408 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड्ड खातेदार है,और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा


1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 02.12.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। केवलमात्र रिपोर्ट में अंकन किया कि सीमाज्ञान शुरू करते ही विवाद होने से सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम शिवनगरी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 7.8408 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

  
(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24/01/2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा